बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन राज्य कार्यकारिणी समिति (प्रकिया एवं भत्ता) नियमावली–2012

सं०सं०–02/स्था0/राज/आ0प्र0प्रा0–03/2010....................../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (53/2005) की धारा –78 की उपधारा (1) सपठित उपधारा (2) के खंड (ग) एवं (घ) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथाः–

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ**– (1) यह नियमावली आपदा प्रबंधन राज्य कार्यकारिणी समिति (प्रकिय एवं भत्ता) नियमावली –2012 कही जा सकेगी।
   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषायें– इस नियमावली में यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो –

(क)''अधिनियम'' से अभिप्रेत है आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53/5005),

(ख)''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा –20 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष,

(ग)''सदस्य'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा –20 की उपधारा (2) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति का सदस्य,

(घ)''राज्य कार्यकारिणी समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित समिति,

(ड़)''उप समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन राज्य कार्य समिति द्वारा गठित उप समिति,

(च)''राज्य प्राधिकार'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के अधीन गठित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो इस नियमावली में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया – (1) राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में जब कभी अपेक्षित हो, राज्य कार्यकारिणी समितिकि का अध्यक्ष ऐसे कार्यान्वयन के ढ़ंग के संबंध में **प्राधिकार से** मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, आपातिक स्थिति में, राज्य कार्यकारिणी समिति के सभी या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक की अध्यक्षता करेगाः

परन्तु राज्य कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ होने की दशा में, वह राज्य कार्य कारिणी समिति के किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकेगा